न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 131/2022 राजस्व अपील

1. बत्तीलाल पुत्र किशोर जाति माली निवासी ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व नायब तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 21.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बत्तीलाल प्रकरण संख्या 83/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री शिवचरण शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 09.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राणोली द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में खसरा नम्बर 784/746 रकबा 27.68 है. चरागाह भूमि में से 0.01 है. में आवास बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय दिनांक 21.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को 50 गुणा शास्ति व एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 21.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील विधि के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने हाजिर होकर कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर आज दिन कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.01 है. पर बताया गया अतिक्रमण हटा लिया है एवं अपीलान्ट भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने सम्बन्धित फोटोग्राफ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 21.08.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.01 है. पर आवास(कमरा) बनाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट द्वारा ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.01 है. पर आवास(कमरा) बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.01 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि आज दिनांक को मौके पर खाली होना एवं अपीलान्ट का भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करना व्यक्त किया है एवं प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने सम्बन्धित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि चरागाह भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.01 है. पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि मौके पर खाली होना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 21.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाये जाने के बाद मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official